भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1018

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2024

सोमवार, 7 श्रावण, 1946 (शक)

बिहार में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण

1018. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कौशल भारत मिशन के अंतर्गत प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) से युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है;

(ख) क्या युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत बिहार राज्य को 128.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और केवल 36.82 करोड़ रुपये ही जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार राज्य को शेष राशि कब तक जारी कर दी जाएगी?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार**,** कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत अपनी प्रमुख स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। पीएमकेवीवाई के दो प्रशिक्षण घटक अर्थात्, अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) हैं। पीएमकेवीवाई-एसटीटी के अंतर्गत, युवाओं सहित उम्मीदवारों को देश भर में सूचीबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) के माध्यम से अल्पावधि पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जबकि पीएमकेवीवाई-आरपीएल घटक के अंतर्गत, पूर्व शिक्षण अनुभव या कुशल व्यक्तियों का आकलन किया जाता है और उन्मुखीकरण या ब्रिज कोर्स के माध्यम से उन्हें प्रमाणित किया जाता है।

(ख) और (ग) पीएमकेवीवाई स्कीम (पीएमकेवीवाई 1.0 (2015-16) और पीएमकेवीवाई 4.0 (2022-26) को छोड़कर) के दो घटक अर्थात् केंद्र प्रायोजित केंद्रीय प्रबंधित (सीएससीएम) घटक जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) घटक जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य कौशल विकास मिशन के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, थें। केंद्रीय घटक (सीएससीएम) के अंतर्गत राज्य-वार निधि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) और पीएमकेवीवाई 3.0 (2020-22) के दौरान पीएमकेवीवाई के राज्य घटक के अंतर्गत, राज्य-वार निधि और संबंधित वास्तविक लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। बिहार राज्य के लिए पीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 के तहत 128.66 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जिसमें से 36.82 करोड़ रुपए जारी किए गए। कुल जारी की गई निधि (36.82 करोड़ रुपए) में से, बिहार राज्य द्वारा 5.96 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं और अव्ययित राशि भारत की समेकित निधि में वापस जमा कर दी गई है।

तथापि, पीएमकेवीवाई के केंद्रीय घटक के अंतर्गत, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2015 से अब तक बिहार राज्य में प्रशिक्षण केंद्रों को 516.39 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।

पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, वित्त-वर्ष 2022-23 से कार्यान्वित होने वाली स्कीम का वर्तमान संस्करण जो राज्य प्रबंधित घटक नहीं है क्योंकि इसे केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। तदनुसार, राज्यों को किसी भी निधि का कोई प्रत्यक्ष आवंटन/वितरण नहीं है।
